फाइल नं0-71-3099/460/2021-03

106/2024/I/742831/2024

प्रेषक,

चन्द्रशेखर मिश्र,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 18 सितम्बर, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद से सम्बद्ध चिकित्सालय परिसर के स्थल विकास कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या–एम0ई0/निर्माण/2024-25/120, दिनांक 19.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद से सम्बद्ध चिकित्सालय परिसर के स्थल विकास कार्य हेतु शासनादेश संख्या–02/2022/ई-1965615/71-3099/460/2021-03, दिनॉक 04.01.2022 द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 908.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-8/2023/ई-262145/71-3099/460/2021-03, दिनॉक 16.01.2023 द्वारा रू0 125.16 लाख, शासनादेश संख्या-63/2023-ई-312776/2023-71-3099/460/2021-03, दिनॉक 09.05.2023 द्वारा रू0 200.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-18/2024/I/485412-71-3099/460/2021-03, दिनॉक 03.02.2024 द्वारा रू0 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 775.16 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद से सम्बद्ध चिकित्सालय परिसर के स्थल विकास कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज फिरोजाबाद हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख के सापेक्ष रू0 87.63 लाख (रू0 सत्तासी लाख तिरसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए।
7. शासनादेश संख्या-02/2022/ई-1965615/71-3099/460/2021-03, दिनॉक 04.01.2022 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 87,63,000 (रूपये सत्तासी लाख तिरसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058200 मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्रशेखर मिश्र)
उप सचिव

संख्याः-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर मिश्र)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।